17.47 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF THE NATIONAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 AND NATIONAL SECURITY (AMENDMENT) BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up the Statutory Resolution seeking disapproval of the National Security (Amendment) Ordinance, 1984 and also National Security (Amendment) Bill.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सेंटेंस लिखा है—

This House disapproves of the National Security (Amendment) Ordinance, 1984 (Ordinance No. 5 of 1984) promulgated by the President on the 5th April, 1984.

यह चौथे महीने में पांचवां आर्डिनेंस सरकार का है। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के उग्रवादी जान-माल छीन रहे हैं और यह सरकार मानवीय अधिकार छीन रही है।

It is a bad Act for a good cause.

कहीं भी गलत इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं और कुछ चीजें कहना चाहता हूं।

सरकार ने पंजाब डिस्टर्ब्ड ऐरिया एक्ट 1983 पास करवाया, चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983 पास करवाया, पंजाब स्पेशल पावर एक्ट 1983 पास करवाया, चंडीगढ़ स्पेशल पावर एक्ट 1983 पास करवाया और अब यह आर्डिनेंस आ गया है। क्या अधिकारों की कमी के कारण पंजाब की हालत बिगड़ रही है? अधिकार तो आपके पास पहले ही बहुत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छोटी सी घटना याद आती है। एक आदमी दोनों हाथों में तलवारें लिए हुए चला जा रहा था। रास्ते में एक दूसरे आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया। उसने कुछ नहीं कहा। तो तीसरे आदमी ने उसने पूछा कि भाई तुमको थप्पड़ मार दिया और तुमने कुछ नहीं कहा? उसने जवाब दिया कि मैं क्या करता। मेरे दोनों हाथ में तलवारें थीं, मेरा हाथ खाली ही नहीं था, मैं क्या करता। कितने पावर्स आप और लेना चाहते हैं। ऐसे तो उस आदमी की तरह थप्पड़ खाते रहेंगे। इसलिए हाथ खाली रखिए तो अच्छा रहेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Swords without use !

श्री सूरज भान : उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस के बारे में कांस्टीट्वेंट असेम्बली में बहस हो रही थी। डा० हृदय नाथ कुंजरू ने आर्डिनेंस के मिस यूज के बारे में अपने खयालात जाहिर किए थे। उसका थोड़ा सा पोरशन पढ़कर सुनाता हूं। कुंजरू साहब कहते हैं :—

"This is a vital matter to which the Constitution recently passed in several European countries have attached the greatest importance. The power of passing an Ordinance is equivalent to giving the Executive the power of passing a law for a certain period. If there is such an emergency in the country as to require that action should be immediately taken by the promulgation of an Ordinance, it is obviously necessary that Parliament should be summoned to consider the matter as early as possible."

उनका भी यही ख्याल था कि पार्लियामेंट को बुला लिया जाए। यहां तो पार्लियामेंट पहले ही है। इसका स्वर्गीय डा० अम्बेडकर ने जवाब दिया

[श्री सूरज भान]

है। इंडिया एक्ट 935 में दो क्लासेस थीं। एक जब सेशन न हो, तब आर्डिनेंस जारी करने के संबध में थी। उसका हवाला देते हुए डा० अम्बेडकर कहते हैं—

> "In the ordinances which the Governor-General had the power to promulgate under Section 43, the legislature was completely excluded. He could do anything—whatever he liked—which he thought was necessary for the discharge of his special functions. The other point is this; that the ordinances promulgated by the Governor-General under Section 43 could be promulgated by the legislature was in session."

Then he continues :—

> "He was a parallel legislative authority under the provisions of Section 43. It would be seen that the present article 102 does not contain any of the provisions which were contained in Section 43 of the Government of India Act. The President, therefore, does not possess any independent power of legislation such as the powers possessed by the Governor-General under Section 43. He is not entitled under this article to promulgate ordinances when the legislature is in session."

> "If I may say so, this article is somewhat analogous—I am using very cautious language—to the provisions contained in the British Emergency Powers Act, 1920. Under that Act, also, the King is entitled to issue a proclamation, and when a proclamation was issued, the executive was entitled to issue regulations to deal with any matter and this was permitted to be done when Parliament was not in session. My submission to the House is that it is not difficult to imagine cases where the powers conferred by the ordinary law existing at any particular moment may be deficient to deal with a situation which may suddenly and immediately arise. What is the Executive to do? The executive has got a new situation arisen which it must deal with. *Ex hypothesi* it has not got the power to deal with that in the existing code of law. The Emergency must be dealt with, and it seems to me that the only solution is to confer upon the President the power to promulgate a law which cannot resort to the ordinary process of law because again *Ex hypothesi*, the legislature is not in session. Therefore, it seems to me that fundamentally there is no obection to the provisions contained in article 102."

23 मार्च को राज्य सभा का सैशन इस महीने की 23 तारीख तक के लिए एडजार्न हुआ। पांच तारीख को आपने आर्डिनेंस जारी कर दिया। 23 मार्च से 5 अप्रैल तक के दरम्यान 11-12 दिनों में जो घटनाएं हुई उनमें से दो घटनाएं मुझे याद हैं। एक, स्वर्गीय श्री हरबंस लाल खन्ना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिनको गोली से अमृतसर में उड़ा दिया गया और उनके अगले ही दिन स्वर्गीय श्री वि०एन० तिवारी, राज्य सभा के सदस्य थे, उनको भी गोली से उड़ा दिया गया। अगर यह दोनों कारण इस आर्डिनेंस के लिए जिम्मेदार हैं, तो मैं इसको गलत समझता हूं। यह तो मर्डर केसेज हैं। इस आर्डिनेंस की क्या जरूरत है? कौन से हालात थे, जिनके कारण आर्डिनेंस लाना पड़ा। अगर कुछ केसेज ऐसे थे, जिनकी पांच या छह अप्रैल को मियाद खत्म हो रही थी और आप छह महीने बढ़ाना चाहते थे, तब तो ठीक था। इस बारे में आप मार्च के दूसरे सप्ताह में भी सोच सकते थे और पार्लियामेंट से बिल पास करा सकते थे। यह तो पहले से पता था कि मियाद कब खत्म होनी है? आर्डिनेंस जारी करने की आदत पड़ गई है। एक वजह यह भी है कि राज्य सभा का सैशन नहीं था, इसलिए हम क्या करते? लेकिन, प्रिसिडेन्ट्स मौजूद हैं। पांच

तारीख को इसकी कापियां यहां पर रखी गई और चार तारीख को सेठी साहब पंजाब के इश्यू पर डिबेट का जवाब दे रहे थे। 4 तारीख को ही क्यों नहीं बता दिया गया कि हम ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं। यह केवल मेरी ही जानकारी नहीं है, अखबारों में भी छप चुका है, इंडियन एक्सप्रेस के प्रथम पृष्ठ पर श्री जी० एस० चावला लिखते हैं :--

> "Though the ordinance, according to Home Ministry's sources, was signed by the President, Mr. Zail Singh, on Wednesday, when the Lok Sabha was discussing the Punjab Situation, it was issued by the Government on Thursday. The Home Minister, Mr. P.C. Sethi, while giving his brief reply to the debate, perhaps forgot to place the ordinance on the Table of the House.

Now, Wednesday was the 4th April, and Thursday was the 5th April.

लेकिन आपने इसको कन्ट्राडिक्ट नहीं किया। यदि आप यह कहते हैं कि हमने चार तारीख को आर्डिनेंस नहीं जारी किया तो मैं चाहता हूं कि प्रेजीडैन्ट महोदय ने जो ओरीजिनल आर्डर साइन किया है, उसको लोकसभा के टेबल पर रखा जाए। वह डैफिनिटली चार तारीख को साइन किया गया है, लेकिन आप पार्लियामेंट में उसको लाकर डिबेट नहीं चाहते थे, हाउस को कान्फीडैंस में नहीं लेना चाहते थे। किन कारणवश आप 4 तारीख को सदन के सामने रखने में असमर्थ रहे। मेरी जानकारी के अनुसार दिन के समय, डिबेट का जवाब आने से पहले राष्ट्रपति जी के उस पर हस्ताक्षर हुए। आपने क्यों इस हाउस को अंधेरे में रखा, गुमराह किया, मैं आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं। यदि आप कहते हैं कि राज्यसभा सैशन में नहीं थी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 1956 में त्रैवेनकोर एण्ड कोचिन एप्रोप्रिएशन बिल, 1956 को लोकसभा ने 29 मार्च, 1956 को पास कर दिया, उस समय भी राज्य सभा सैशन में नहीं थी। उसका 31 मार्च से पहले दोनों सदनों में पास होना जरूरी था, इसलिए 31 मार्च को राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्डिनैंस जारी किया गया ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद 16 अप्रैल, 1956 को राज्य सभा का सत्र हुआ तो राज्य सभा ने भी उसको पास किया। क्या आप उसी तरह से यहां नहीं कर सकते थे। ऐसे एक नहीं कई इंसटांस हैं। ऐसे ही क्रीमिनल लॉ अमैंडमैंट बिल 1955 के सम्बन्ध में भी हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल आर्डिनैंस 1970 में भी इसी तरह हुआ। टैक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनेलाइजेशन बिल 1970 में भी ऐसा ही हुआ है। यदि उस वक्त हो सकता था तो आप अब नहीं कर सकते थे। लोक सभा से बिल पास करवा लेते, उसके बाद एक आर्डिनैंस जारी कर दिया जाता। फिर आर्डिनैंस जारी करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि राज्यसभा प्रोरोग नहीं हुई थी, उसका सैशन एमर्जेंट बेसिस पर बुलाया जा सकता था। यदि आप इसको इतना जरूरी समझ रहे थे तो लोकसभा से पास करवाने के बाद, राज्यसभा का सत्र बुलाकर, दो-तीन दिन में वहां से भी पास करवा सकते थे। अगर पौसिबिल नहीं था तो उसी तरीके को अडौप्ट किया जा सकता था जो 1956 में किया गया था। मैं समझता हूं कि उसके पीछे दो ही कारण थे। उपाध्यक्ष महोदय, या तो इनकी मंशा हाउस का इंसल्ट करने की थी, कन्टैम्प्ट ऑफ दी हाउस की थी या ये कन्फयूज्ड थे टोटली। दोनों में से कोई रीजन जरूर रहा होगा। या तो आप दिलो-दिमाग से पार्लियामेंट की इज्जत नहीं चाहते थे अथवा कन्फ्यूज्ड थे, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। आपने जो स्टेटमैंट दिया है, उनमें से मैं यहां एक वाक्य कोट करना चाहता हूं क्योंकि इस आर्डिनैंस की वजह भी है। आप कहते है कि :

> "They have used explosives against congregations. Militant leaders had been inciting their followers to take to terrorist methods."

आप बताईये कि ये मिलिटैंट लीडर्स कौन हैं,

[श्री सूरज भान]

उनमें लीडर कौन हैं। आज मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपकी बैंचों से सिर्फ एक माननीय सदस्य हैं—श्री जैनुल बशर ऐसे हैं जो हिम्मत के साथ उनका नाम लेते हैं कि भिंडरांवाले को गिरफ्तार करो, आप तो कोई उनका नाम भी नहीं लेते क्योंकि हमारे यहां कुछ रिवाज ऐसा है कि किसी का नाम नहीं लिया जाता। आखिर किस कारणवश आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते कि वह मिलिटैंट लीडर कौन हैं। मैं आपसे सीधे-सीधे पूछना चाहता हूं कि आप साफ क्यों नहीं बताते, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है आप सरकार में हैं। यहां मुझे उर्दू का एक शेर याद आ गया।

"तेरे रहते लुटा है चमन बाग बां,
कैसे मानूं कि तेरा इशारा नहीं।"

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Suraj Bhan, you may require some more time. You can continue tomorrow.

The House stands adjourned till 11.00 AM tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 25, 1984/Vaisakha 5, 1906 (Saka).

Printed by the Manager, Mittal Printers, K-13 Navin Shahdara, Delhi-110032